राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः– F23(36)FOOD/STORE/2025-03958-8204805 जयपुर, दिनांकः– 13/05/26

तकनीकी निविदा प्रपत्र

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर में (मानव श्रम) जॉब बैसिस पर मशीन विद मैन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये। (विस्तृत विवरण निविदा की शर्तो में अंकित है)।

निविदादाता फर्म का नाम	
पत्राचार का पता	
फर्म का बैंक विवरण	बैंक का नाम .... खाता सं. ....IFCS कोड........
मोबाईल नम्बर/टेलीफोन नं.	
वेबसाईट अथवा ई–मेल	
निविदा की अनुमानित लागत	12,00,000/–
निविदा शुल्क राशि रू. 500.00 जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक नं........ दिनांक .... बैंक का नाम ....शाखा का नाम........ ...एवं विभागीय रसीद सं........ दिनांक........
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रू. 500.00 का जमा करवाये जाने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक नं........ दिनांक .... बैंक का नाम ....शाखा का नाम........
निविदा अमानत राशि रू. 24000.00 जमा कराने का विवरण	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक नं........ दिनांक .... बैंक का नाम ....शाखा का नाम........
ऑन–लाईन निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समय	15/05/26 को प्रात: 10 बजे
निविदादाता द्वारा ऑन–लाईन निविदा डाउनलोड करने की तिथि एवं समय	15/05/26 को प्रात: 10:30 बजे
ऑन–लाईन निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	22/05/26 को दोपहर 02:00 बजे
निविदा शुल्क, ई–निविदा प्रोसेसिग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि भौतिक रूप से जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं दिनांक	22/05/26 को शाम 04:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	25/05/26 को साय 03:00 बजे
ऑन–लाईन निविदा खोलने का स्थान	दिनांक 25/05/26 को दोपहर 3.00 बजे उपापन समिति के द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कक्ष में खोली जावेगी।
निविदा शुल्क राशि	500.00 रू. डिमांड ड्राफ्ट जो 'Assistant Commisioner, Food and Civil Supply Department, Jaipur' के नाम का बना हुआ हो अथवा नकद राशि जमा करवाये जाने की रसीद तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	500.00 रू डिमांड ड्राफ्ट जो 'प्रबंध निदेशक, RISL, जयपुर के नाम का बना हुआ हो।
अमानत राशि/बोली प्रतिभूति राशि रूपये	रूपये 24,000/– का डिमाडं ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो Assistant Commisioner, Food and Civil Supply Department, Jaipur के नाम से बना हुआ हो। तकनीकी निविदा के साथ जमा करवाया जाना आवश्यक है।
निविदा का संदर्भ	
निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम	दिनांक 'सहायक आयुक्त प्रथम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
निविदा अधीन कार्य का विवरण	विभागीय मुख्यालय में (मानव श्रम) मशीन विद मैन उपलब्ध कराने हेतु। कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये। (विस्तृत विवरण निविदा की शर्तो में अंकित है)।

सहायक आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

Keerthi, 7.5.26

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः— F23(36)FOOD/STORE/2025-03958-8204805 जयपुर, दिनांकः— 13/05/26

निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का विवरण निम्नानुसार :—

क्र.सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन नं./दिनांक	वैद्यता अवधि से	तक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उल्लघंन) अधिनियम 1970			
02	ईपीएफ (अधिनियम 1952) (केवल राजस्थान की प्रति संलग्न करे)			
03	ईएसआई (अधिनियम 1948) (केवल राजस्थान की प्रति संलग्न करे)			
04	जी.एस.टी. रजि. प्रमाण–पत्र (प्रति संलग्न करे)			
05	पैन नम्बर (प्रति संलग्न करे)			
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधि. 1958 के तहत रजिस्ट्रेशन (प्रति संलग्न करे) या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत			

<u>वित्तीय टर्न ऑवर का विवरण (गत दो वर्षो का) सी.ए. द्वारा जारी टर्न ऑवर का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।</u>

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष (F.Y)	कर निर्धारण वर्ष (A.Y)	टर्नऑवर राशि रू.
1	2023–24	2024–25	
2	2024–25	2025–26	

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओ के उपापन के लिय निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी

S. no	Item Description	Basic Rate per person per Month in Rs.	Service charge in Rs.	Machine Rent in Rs. (Maximum Rs.1000)	Epf inclusive in adm. Charges percent on basic (13%)	ESI Charges percent on basic (3.25%)	Total amount
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	उच्च कुशल	9334			1213	303	

नोटः— कॉलम सं. 4 एवं 5 में राशि 1 रूपये से कम इन्द्राज नही किया जावें। 1 रूपये से कम इन्द्राज की स्थिति में संबंधित निविदादाता कि निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 01 से 3 व 6, 7 की पूर्तिया संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज मे ही अंकित कर उपलब्ध कराई जावेगी तथा केवल **स्तम्भ संख्या 04** (केवल सेवा शुल्क) एवं **05 मशीन किराया** मे ही बोलीदाता द्वारा प्रविष्ठयॉ अंकित की जा सकेगी।
विभागीय मुख्यालय मे लगाये जाने वाले उच्च कुशल संविदा कार्मिको का विवरण <u>निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें 16 पर अंकित है।</u>

सहायक आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

Karina

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
तकनीकी निविदा की नियम एवं शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी निविदा में अपलोड किये जावेंगे एवं वित्तीय निविदा में केवल मासिक (service charge) एवं (मासिक) मशीन किराये की राशि भरकर अपलोड करनी होगी।
2. **तकनीकी निविदा स्वीकार करने के अनिवार्य बिन्दु :–**

(i) अमानत राशि 24000 / – रू का बैंकर्स चैक या ड्राफ्ट जो Assistant Commisioner, Food and Civil Supply Department, Jaipur के नाम देय हो।

(ii) MSME रजिस्ट्रर्ड संस्थानो हेतु अमानत राशि 0.50% राशि रू 6000 / – निविदा के साथ आवश्यक रूप सलग्न करनी होगी। इसके अभाव में निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

(iii) निविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500 / – रू का डीडी MANAGING DIRECTOR, RISL, जयपुर के नाम देय हो संलग्न करना होगा।

(iv) निविदा शुल्क 500 / – रू का डीडी Assistant Commisioner, Food and Civil Supply Department, Jaipur के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

(v) निविदादाता को राजकीय कार्यालयों में न्यून्तम तीन वर्ष का मशीन विद मैन संचालन का अनुभव आवश्यक हैं। इस हेतु उसे संबंधित कार्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बिना प्रमाण पत्र निविदा निरस्त मानी जावेगी।

(vi) Annexure –A को आवश्यक रूप से भरकर प्रस्तुत करना होगा ।

(vii) Annexure –B को नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(viii) गत वर्षो में वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 कर निर्धारण वर्ष 2024–25 एंव 2025–26 का(अलग–अलग) 15 लाख या 15 लाख से अधिक वार्षिक टर्नऑवर होने का सनद लेखाकार, चार्टेड एकाउंटेंट का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

(ix) कार्य अनुभव का विवरण व अनुभव प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति।

(x) फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

(xi) कर्मचारी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति।

(xii) जी.एस.टी. रजि. प्रमाण–पत्र की फोटोप्रति।

(xiii) आयकर पैन नम्बर की प्रमाणित प्रति।

सहायक आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

Karina

वित्तीय निविदा की शर्ते एवं नियम :–

1. वित्तीय निविदा में अनुमानित पदो हेतु (मासिक 26 कार्य दिवस) प्रतिकर्मी सेवाशुल्क की ही दरे वित्तीय निविदा में ही अपलोड करनी होगी।
2. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक + ईपीएफ + ईएसआई + जी.एस.टी की दरे उपापन संस्था द्वारा ही भरी जावेगी संबधित फर्म द्वारा केवल सेवाशुल्क की राशि एवं मशीन कराये की राशि ही निर्धारित स्थान पर भरनी होगी।
3. निविदादाता अपनी दरें BOQ. XLS प्रपत्र (वित्तीय निविदा) में ही प्रस्तुत करें।
4. वित्तीय निविदा के लिए निविदादाताओं निविदा के एक भाग के रूप में वेबसाईट पर अपलोड BOQ. XLS (माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) डाउनलोड करना चाहिए और टेम्पलेट के लिए किसी भी संशोधन के बिना विवरण भरें। डाउनलोड BOQ. XLS (माईक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल) में किये गये छेडछाड/परिवर्तन प्रारूप वेबसाइट द्वारा स्वीकार नही किया जाएगा।
5. दरों का वित्तीय तुलनात्मक विवरण तैयार करते समय जीएसटी की दरों का सम्मिलित नही किया जायेगा। जीएसटी नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
6. निविदा में एक से अधिक फर्मो की समान दरें प्राप्त होने पर :–

   a. एक से अधिक फर्मो की दरें समान प्राप्त होने पर गत दो वर्ष में अधिकतम औसत टर्नऑवर वाली फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु सीए सर्टिफाइड वार्षिक टर्नऑवर तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जावे।

   b. उपरोक्त बिन्दु ए के मापदण्ड के पश्चात भी दरें समान रहने पर अधिकतम कार्य अनुभव रखने वाली स्थानीय निविदादाताओं/फर्मो को प्राथमितकता दी जायेगी। (इस हेतु कार्यनुभव प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जावे।

7. वित्तीय निविदा में अंकित दरों में यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक की शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रृटि से संबंधित नही हो। इस संबंध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियत–2013 के नियम 64 के अनुसार कार्यवाही की जा कर निर्णय लिया जा सकेगा।

मशीन विद मैन ठेके की सामान्य नियम एवं शर्ते :–

01. उक्त कार्य हेतु संविदा पर दिये उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मी जो अनुभवी होंगे उन्हे प्राथमिकता दी जावेगी, साथ ही स्थानीय पंजीकृत फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
02. यह निविदा द्वि–प्रकमी (Two Stage) निविदा के रूम में आमंत्रित की गई है।
    1. तकनीकी निविदा।
    2. वित्तीय निविदा।
3. संविदा पर उपलब्ध कराये जाने वाले संविदाकर्मी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित संविदा पद की योग्यता वाला होना चाहिए। कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए संबंधित संविदाकर्मी के पास आर.एस.सी.आई.टी कम्प्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र अनिवार्य है एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं से प्रशिक्षित होना चाहिए।
4. विभागीय मुख्यालय में आपके द्वारा लगाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटरो को हिन्दी, अंग्रेजी टाईपिग एंव कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है।
5. मैन विद मशीन पद के लिए संविदाकर्मी को कम्प्यूटर मय प्रिंटर व डोंगल निविदादाता (बिडर) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं कम्प्यूटर प्रिंटर की खराब होने पर उसकी मरम्मत निविदादाता द्वारा कराया जायेगा।

6. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रिंटर की प्रथम कार्टेज रिफिल निविदादाता द्वारा कराया जायेगा शेष रिफिल संस्थान द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकार प्रथम माह का डोंगल का रिचार्ज निविदादाता द्वारा किया जायेगा शेष डोंगल का रिर्चाज संस्था द्वारा करवाया जायेगा।

7. निविदा शुल्क, ई–निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा प्रतिभूति राशि इस कार्यालय के कार्यालय में दिनाक 22/05/26 को सायं 4.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा करवाई जानी होगी इसके बिना ऑन लाईन प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

8. निविदादाता के पक्ष में निविदा स्वीकृत हो जाने के पश्चात यदि इस बाबत कोई शिकायत या जानकारी प्राप्त होती है कि निविदादाता द्वारा किसी भी विभाग मे धरोहर राशि एंव अनुबंध नही जमा कराये जाने अर्थात उसकी अमानत राशि जब्त की गई है ,को ठेका स्वीकृत हो जाने के पश्चात निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

9. निविदा के साथ निविदा के वाछित दस्तावेज ही सलग्न करे, अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नही किये जावे एंव सलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढने योग्य होने चाहिए।

10. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले संविदा कर्मियो को ठेकेदार द्वारा पाबंद करना होगा कि विभागीय मुख्यालय में किसी भी प्रकार की बक्शीश नही ली जावे यदि कोई कर्मचारी बक्शीश लेता हुआ पकडा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एंव नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

11. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण तथा यदि आवश्यक हुआ तो प्रस्तुतीकरण एवं भौतिक सत्यापन के बाद केवल उन निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी, जो कि तकनीकी निविदा परीक्षण/प्रस्तुतीकरण में सफल/उपयुक्त पाये जायेगें। असफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड नही खोली जायेगी।

12. अनुबन्ध नही करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं अन्य निम्न राशि के ठेकेदार की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जावेगा।

13. श्रम विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियो की न्यूनतम मजदूरी में वृद्वि किये जाने पर, अंतर राशि एंव बढी हुई दर से भुगतान करना होगा एंव अतंर राशि का बिल विभागीय मुख्यालय मे प्रस्तुत करना होगा ।

14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, पी.एफ,ई.एस.आई का भुगतान नही किये जाने एंव ई.एस.आई कार्ड बनाकर देने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी, और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।

15. यह अनुबन्ध केवल वही व्यक्ति/फर्म प्रस्तुत कर सकती है, जिसका पंजीयन श्रम विभाग सेवाकर, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय व कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में हो, पंजीयन पत्रो की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं। बिना पंजीयन के आवेदन करने वाली फर्म की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।

16. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 प्रभावशील है। अतः उक्त निविदा में उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील है इसके साथ ही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शितां नियम 2013 के नियम 64 के तहत निविदा मूल्याकंन समिति सारभूत रूप से प्रत्युतरदायी बोलियों मे अंकगणितीय त्रृटियों का आवश्यक होने पर सुधार कर सकेगी।

17. पूरा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया ।

18. **विभागीय मुख्यालय मे उपलब्ध करवाये जाने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर की संख्या व उन्हे भुगतान किये जाने का विवरण निम्ननानुसार है :–**

क्र.स	श्रमिक की श्रेणी	श्रमिको की संख्या	भुगतान का विवरण/ मद का नाम
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर (उच्च कुशल)	6	3456-00-001-01-01-62
02	कम्प्यूटर ऑपरेटर (उच्च कुशल)	2	मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना 3456-00-102-11-01-91

उच्च कुशल श्रमिको की संख्या – 8

उपरोक्तानुसार बताई गई संविदा कर्मियो की संख्या अनुमानित है, लेकिन आवश्यकतानुसार विभागीय मुख्यालय द्वारा संविदा कर्मी की संख्या बढाई या घटाई जा सकती है, इस विभाग को आवश्यकता होने पर ही संबंधित संविदा कार्मिको को कार्य पर लिये जाने के आदेश जारी किये जायेगे, जिसके लिए ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी। उक्त संविदा कर्मी को वो समस्त कार्य करने होगे जो निर्देशित किये जावेंगे।

19. निविदा दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय निविदा) सहित सभी संचार/पत्राचार निविदादाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।

20. विभागीय मुख्यालय को बिना अवगत करवाये ठेकेदार किसी भी संविदा कार्मिक को विभागीय मुख्यालय में नही लगाये जायेंगे यदि बिना पूर्व प्रशासन की अनुमति के ठेकेदार द्वारा किसी कार्मिको लगाया जाता है तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
21. विभागीय मुख्यालय द्वारा ठेका स्वीकृत किये जाने पर लगाये जाने वाले समस्त संविदा कार्मिको के दस्तावेज इस विभाग को एक प्रति मे उपलब्ध करवाने होगे।
22. तकनीकी निविदा सूचना में और निविदा लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति मे निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रकिया की योग्यता बोलियां को ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा। वित्तीय निविदा हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य निविदा लगाने वालों को बाद मे सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य निविदादाताओं/नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी।
23. तकनीकी निविदा से संबंधित दस्तावेज केवल तकनीकी निविदा मे अपलोड किये जावे एवं निविदा में अनुमानित पदो हेतु सेवाशुल्क ही वित्तीय निविदा में भरा जावे ।
24. निविदादाता ई–उपापन की वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in को देखें एवं निविदा के लिए पंजीकरण और ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
25. निविदादाताओं को वेबसाइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड और ई–टेंडर के लिए निर्धारित प्रकिया का पालन करना होगा। निविदा इसी साईट पर ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। ऑफ लाईन प्रस्तुत बोलियों पर विचार नही किया जावेगा और खारिज कर दिया जाएगा।
26. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
27. सशर्त या अग्रिम भुगतान की निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
28. इस विभागीय मुख्यालय द्वारा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा।
29. यह कि ठेकेदार/संस्था के लिये यह बाध्यता होगी कि अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध–सिद्ध दोषी, सजायाफ्ता श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।
30. फर्म की अमानत राशि कें रूप मे डी.डी./बैंकर्स चैंक, के रूप मे जमा करवाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैंक, विभागीय मुख्यालय, जयपुर के नाम से देय होगा।
31. स्वीकृत निविदा (ठेकेदार) को स्वीकृत तिथि से एक सप्ताह मे स्वयं के खर्चे पर रुपये 500/– रु. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
32. अनुबन्ध नही करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नही कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं अन्य उच्च राशि के ठेकेदार की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जावेगा।
33. यह अनुबन्ध केवल वही व्यक्ति/फर्म प्रस्तुत कर सकती है, जिसका पंजीयन श्रम विभाग सेवाकर, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय व कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में हो, पंजीयन पत्रो की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैं। बिना पंजीयन के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
34. विभागीय मुख्यालय सफल निविदादाता ठेकेदार को एक पद हेतु एक से अधिक व्यक्ति भी भेजने के लिए लिख सकता है, जिनमें से अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय जैसे चाहे वैसे कार्य की जानकारी प्राप्त कर उनमें से चयन कर चयनित व्यक्ति को ठेकेदार से भेजने के लिए लिख सकेगा। ठेकेदार उसी ही व्यक्ति को कार्य हेतु विभागीय मुख्यालय में भिजवायेगें।
35. ठेकेदार कार्य हेतु जिन कर्मियो को लगायेगा उनके नाम व पते मय 2 फोटो के 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। समस्त संविदाकर्मियों को ईएसआई कार्ड एक माह की अवधि मे उपलब्ध करवाने होगें। किसी समय किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले हुए नये कर्मी का नाम पता मय फोटो यथा समय सुनिश्चित करेगा। इसके अभाव में अगले मास का बिल का भुगतान नही किया जावेगा।
36. ठेकेदार स्वयं के खर्चे पर संविदाकर्मी को यूनीफार्म व परिचय पत्र उपलब्ध करवाना होगा बिना यूनीफार्म व परिचय पत्र के उपस्थित कर्मचारी को ड्यूटी पर नही माना जावेगा एवं 100/–रु. की शास्ती प्रतिकर्मी प्रतिदिन लगाई जावेगी। सफल निविदाकार को अपनी यूनीफार्म व बैच का सैम्पल कार्यालय में जमा करवाना होगा।
37. ठेकेदार के व्यक्ति द्वारा यदि कार्यालय के किसी भी उपकरण का अथवा अन्य सामान को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य होगा । कार्य का स्थान जिस स्थिति में सौपा जावेगा उसी स्थिति में ठेका समाप्त होने पर उसी स्थिति में वापिस सुपुर्द करना होगा। ठेके के दौरान संविदा कर्मी द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी, नुकसान का ब्यौरा संबन्धित अभियन्ता द्वारा निर्धारित किया जावेगा जो ठेकेदार का मान्य होगा ।

38. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदा कर्मियों की अस्पताल परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
39. ठेकेदार को संविदा नियमों की पालना करनी होगी।
40. निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विभागीय मुख्यालय को होगा ।
41. यह निविदा अनुबंध तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। किन्तु ठेकेदार की सेवाऐं संतोषप्रद होने पर यदि विभाग आवश्यक समझे तो निविदादाता एवं विभागीय मुख्यालय की आपसी सहमति के आधार पर 3 माह से अधिक नही बढायी जावेंगी। उपरोक्त प्रकार से यदि ठेका अवधि में वृद्धि पर सहमति नही होती है तो नवीन ठेका स्वीकृत होने तक अथवा आगामी तीन माह जो भी पहले हो तक स्वीकृत दर पर ही कार्य करने को बाध्य होगा और ऐसा नही करने पर निविदा शर्तो की तोडना माना जावेगा, तथा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा ।
42. ठेकेदार के मासिक बिल की राशि पर आयकर अधिनियम के तहत 2.0 प्रतिशत राशि ठेकेदार के बिल में से काटकर आयकर विभाग में इस कार्यालय द्वारा जमा करवाई जावेगी। जिसका प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा ठेकेदार को दे दिया जावेगा। ठेकेदार के आयकर में छूट होने की स्थिति में आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार आय कर नही देने का प्रमाण पत्र की फोटोप्रति ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
43. प्रत्येक संविदाकर्मी को औसतन प्रत्येक दिन 8 घंटे कार्य करना होगा 8 घंटे से कम कार्य करने पर आनुपातिक राशि उसके पारिश्रमिक में से काटी जायेगी।
44. ठेकेदार को प्रत्येक माह में संविदा कर्मचारी को भुगतान की गई राशि की सूची संबंधित संविदाकर्मी द्वारा राशि प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाकर एवं सभी संविदाकर्मियों से इस प्रमाण पत्र के साथ ही उनके पारिश्रमिक से काटी गई एवं नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई पीएफ एवं ईएसआई अंशदान की राशि उनके खाते में जमा करा दी गई है, इस कार्यालय में अगले माह के भुगतान बिल के साथ कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। अन्यथा ठेकेदार का बिल पारित कर भुगतान नही किया जायेगा।
45. सफल ठेकेदार द्वारा लगाये संविदा कर्मियों का मासिक बिल कार्यालय में प्रत्येक माह की दो तारीख को बिल पारित करने हेतु विभाग इस हेतु अधिकृत अधिकारी से प्रमाणित करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
46. ठेकेदार द्वारा अपने संविदाकर्मी को नियमानुसार दिया जाने वाला वेतन उनके द्वारा खोले गये बैंक अकाउंट में हर माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से ठेकेदार द्वारा जमा कराया जावेगा। चाहे विभागीय मुख्यालय से किसी भी कारण से ठेकेदार को देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। यदि ठेकेदार द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है तो रू. 200/– प्रतिदिन की दर से शास्ती लगाई जायेगी।
47. यह ठेका सफल ठेकेदार किसी भी अन्य फर्म/संस्था को सब–लेट नही कर सकेगा।
48. फर्म/निविदादाता द्वारा ठेका श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 की धारा की उप–धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत वांछित अनुज्ञप्ति/लाईसेंस प्रस्तुत करना होगा।
49. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक दरों में समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
50. यदि संवदेक एंव कार्य पर लगाये गये कार्मिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एंव राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एंव उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठा पूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
51. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदन को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।
52. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
53. समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

सहायक आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 01 से 53 तक को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत है यदि मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार शर्ते संख्या 01 से 53 मे से किसी भी शर्ते की अनुपालना नही की जाती है तो अतिरिक्त खाद्य आयुक्त शासन सचिवालय जयपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधकार होगा इसमे मेरे/हमारे को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता ....

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

Annexure - A

Check list (STRICT COMPLIANCE)

S. No.	Documents to be submitted	Attached at page number
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उल्लघंन) अधिनियम 1970	
2	ईपीएफ (अधिनियम 1952) (केवल राजस्थान की प्रति संलग्न करे)	
3	ईएसआई (अधिनियम 1948) (केवल राजस्थान की प्रति संलग्न करे)	
4	जी.एस.टी. रजि. प्रमाण–पत्र (प्रति संलग्न करे)	
5	पैन नम्बर (प्रति संलग्न करे)	
7	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधि. 1958 के तहत रजिस्ट्रेशन (प्रति संलग्न करे) या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत	
8	निविदादाता को राजकीय कार्यालयों में न्यून्तम तीन वर्ष का मशीन विद मैन संचालन का अनुभव आवश्यक हैं। इस हेतु उसे संबंधित कार्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बिना प्रमाण पत्र निविदा निरस्त मानी जावेगी।	
9	Annexure –B को भी नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।	
10	गत दो वर्षो में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वित्तीय वर्ष 2023–24 एंव 2024–25 कर निर्धारण वर्ष 2024–25 एंव 2025–26 का (अलग–अलग) 15–15 लाख रू या उससे अधिक का वार्षिक टर्नऑवर होने का सनद लेखाकार, चार्टेड एकाउंटेंट का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।	

सहायक आयुक्त
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
शासन सचिवालय, जयपूर

Annexure - B

100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर बोलीदाता द्वारा विवर्जित एवं ब्लेकलिस्ट नही होने की घोषणा (नोटेरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए बोली दस्तावेज दी है। मेरी/हमारी फर्म आज तक किसी भी राजकीय कार्यालय/बोर्ड/निगम व स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्रतिष्ठित संस्था/उपक्रम द्वारा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) एवं ब्लेकलिस्ट नहीं की गई।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली दस्तावेज को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोली लगाने वाली फर्म मय सील

Kavita

Annexure - C

चार्टेड अकाउन्टेंट का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ....
का निम्न अवधि का टर्न ओवर अंकेक्षित लेखों के अनुसार निम्न प्रकार रहा है :–

क्रम संख्या	अवधि / वर्ष	टर्न–ओवर
1.	2023–24	....
2.	2024–25	....

हस्ताक्षर मय सील
चार्टेड अकाउन्टेंट

Kavina

Government of Rajasthan
Food and civil supply, Raj- Jaipur

Annexure-D

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

in relation to my/our Bid submitted to For Provide Machine with man in response to their Notice Inviting Bids No. Dated I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Tranparency in Public Work Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, Technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/Our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;

Date:-
Place:-

Signature of the bidder
Name:
Designation:
Address:

Government of Rajasthan
Food and civil supply, Raj- Jaipur

Annexure-E

Affidavit regarding compliance to Terms & Condition of Tender

BIDDER NAME..........................

I/We confirm that I/We are authorized to submit tender on behalf of the firm participating in the tender and have perused the entire Bid/tender document Including all its amendments till date.

Having perused the subject tender with all amendments (wherever applicable). I/We hereby confirm unconditional acceptace and compliance to abide by all its terms & conditions as mentioned in Bid/Tender document including technical particulars, Detailed technical specifications of the product, Special Terms & Conditions and General Terms & Connditions wherever indicated, offer validity, Terms of delivery without andy deviations whatsoever:

I/We also confirm acceptance of the all General Terms & Conditions of tender document.

I/We certify that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/ unethical means in including cartlization.

I/We certified that tendering firm has not been banned by any Government Department of the State/PSU from business dealings.

I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.

Name of Bidder with Signature and Seal

Kavina

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall&

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurementprocess or to otherwise influence the procurement process.
b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as toobtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti& competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) Not misuse any information shared between the procuring Entity andthe Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurementprocess:
e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
g) Disclose conflict of interest, if any; and
h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest- A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if] including but not limited to:

a) Have controlling partners/shareholders in common; or
b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c) Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d) Have a relationship with each other] directly or through common third parties, that puts in a position to have access to informationabout or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e) The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in theisqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f) The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Karina

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is Secretary Food and Civil Supplies Department, Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary Fianance (Budget), Rajasthan.

1. **Filing an appeal**

   If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within 30 days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2), or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

4. **Appeal not to lie in certain cases**
   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;
b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;
c) The decision of whether to enter into negotiations;
d) Cancellation of a procurement process;
e) Applicability of the provision of confidentiality.

5. Form of Appeal

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any,affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filing appeal

a) Fee for fist appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or SecondAppellate Authority, as the case may be, shall,-
    I. hear all the parties to appeal present before him; and
    II. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereofrelating to the matter.
c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
d) The order passed under sub-clause (3) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.`

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

3 At the time of awardof contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

4 If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of contract.

5 In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions ofthe original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No................of.........

Before the..(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   I. Name of the appellant:
   II. Official address, if any:
   III. Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   I.
   II.
   III.
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer..
   ....
   ....

Place............................

Date............................

Appellant's Signature

Validate Print Help e BoQ

Tender Inviting Authority: Addiotional Food Commissioner secretariat

Name of Work: HIRING OF HUMAN RESOURCES ON CONTRACT BASIS

Contract No:

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Minimum Honorarium As per Labour Rule Rs. P	Service Charge Per Month Per Man Power Rs. P	Machine Rent (Maximum 1000/-) Rs. P	EPF(13%) Rs. P	ESI(3.25%) Rs. P	TOTAL AMOUNT Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	6	13	14	15	16	54	55
1	Post Name And Category of Post							
4	Man With Machine (Highly Skilled)	9334.00			1213.00	303.00	10850.00	INR Ten Thousand Eight Hundred & Fifty Only
Total in Figures							10850.00	INR Ten Thousand Eight Hundred & Fifty Only
Quoted Rate in Words		INR Ten Thousand Eight Hundred & Fifty Only						

Kaurino